फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा ....मुकाम......................भादरा

दयाराम बनाम कृष्ण लाल आदि

किस्म मुकदमा 212 आर.टी.ए. न0 50/24 सन 2024

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
.2024	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी। वकील प्रार्थी की बहस, प्रस्तुत दस्तावेज (जमाबंदी ग्राम बोझला सम्वत 2073–76 खाता सख्यां 25/43,जमाबंदी ग्राम राखी सम्वत 2076–79 खाता सख्यां 15/37,जमाबंदी ग्राम बोझला सम्वत 2049, जमाबंदी ग्राम राखी सम्वत 2048–2051) व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम बोझला के खाता सं0 25/43 के ख0नं0 116/1, 140, 163/1 की कुल 8.713 है0 में कृष्णलाल का हिस्सा 1/2 व रोही मौजा राखी के खाता संख्या 15/37 के ख0सं0 79 की 16.718 है0 में कृष्ण का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि को अप्रार्थी सं0 1 कृष्ण रहन, बैय न करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें । यह आदेश बैंक राको एक्ट प्रकरण, वाप्कोस कार्य DILRMP व रास्ते के संबंध में लागू/प्रभावी नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थी वकील अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदे न्यायालय में 07 दिवस में पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.07.2024 को पेश है। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा(हनुमानगढ)	
22.07.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं हाजिर। वकील प्रार्थी स्वयं ने फर्द अहकाम पर "Not press" अंकित कर निवेदन किया कि पत्रावली [illegible] वापिस बिना [illegible] [illegible] का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाकर पत्रावली [signature]	Not Press दयाराम Id. By [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.07.25 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तामील अहकाम की तामील
	मा॰ इसी स्टेज पर वादी ने "not press" किया जाता है पत्रावली नम्बर से खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.07.25 18:05:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner